न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

दिनांकः– 09/06/2026

यह प्रार्थना पत्र अभियुक्त प्रेम की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध सं० 103/2026, अन्तर्गत धारा– 305(A), 317(2) बी०एन०एस०, थाना पुरवा जिला उन्नाव, के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त द्वारा स्वंय को निर्दोष, झूठा व रंजिशन फंसाये जाने, घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी न होने तथा अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई घटना कारित ने करने के आधार पर जमानत की याचना की गई है।

अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार मुकदमा मुकदमा अपराध सं० 103/2026, अन्तर्गत धारा– 305(A), 317(2) बी०एन०एस०, थाना पुरवा जिला उन्नाव, में अभियुक्त प्रेम न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध गंभीर एवं गैर जमानतीय प्रकृति का है। जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त प्रेम के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा एक अन्य मुकदमा मु०अ०सं० 46/2020 अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० थाना पुरवा में दर्ज है, जिससे प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है तथा इस मामले में चोरी के सामान को पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त के जमानत आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्त प्रेम की ओर से मुकदमा अपराध सं० 103/2026, अन्तर्गत धारा– 305(A), 317(2) बी०एन०एस०, थाना पुरवा जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।